جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

संक्षिप्त विवरणमस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत (यात्रा) के शिष्टाचार और नियमों के विषय में

हिन्दी

هندي

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

Partners in Implementation

Content Association

Rowad Translation

Byenah

IslamHouse

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

Tel : +966 50 244 7000
info@islamiccontent.org
Riyadh 13245-2836
www.islamiccontent.org

सारी प्रशंसा अल्लाह की है, जो सारे संसार का रब है, तथा दया और शांती (दरूद व सलाम) अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर तथा आपके तमाम परिजनों एवं साथियों पर।

अब मूल विषय पर आते हैं।

मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत से संबंधित यह एक संक्षिप्त पुस्तिका है, जिसमें हमारी कोशिश रही है कि मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत करने वाले को आवश्यकता पड़ने वाली अधिकतर ज़रूरी बातें बयान कर दी जाएँ।

दुआ है कि अल्लाह इसे विशुद्ध रूप से अपनी प्रसन्नता की प्राप्ति का साधन एवं तमाम मुसलमानों के लिए लाभकारी बनाए।

विभिन्न भाषाओं में इस्लामी सामग्री सेवा संगठन की शोध समिति

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

संक्षिप्त विवरण

मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत (यात्रा) के शिष्टाचार और नियमों के विषय में

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

- अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद की ज़ियारत मुसतहब है। लेकिन इसका कोई समय निर्धारित नहीं है और यह हज के कार्यों में भी शामिल नहीं है। हाजियों पर -पुरुष हों अथवा महिला- अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र तथा बक़ी क़ब्रिस्तान की ज़ियारत अनिवार्य नहीं है।

- आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करके जाना जायज़ नहीं है। क्योंकि इबादत की नीयत से क़ब्रों की यात्रा नहीं की जा सकती। यात्रा केवल तीन मस्जिदों की ही की जा सकती है। **अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :**

(لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)

"केवल तीन मस्जिदों के लिए ही यात्रा करो : मस्जिद-ए-हराम, मेरी यह मस्जिद तथा मस्जिद-ए-अक़्सा।" (सहीह बुख़ारी : 1189, सहीह मुस्लिम : 827, यहाँ लिए गए शब्द सहीह मुस्लिम के हैं।) अतः जो लोग मदीना से दूर रहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आपकी क़ब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करना उचित नहीं है। हाँ, मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना शरीयत सम्मत है। फिर, जब मस्जिद-ए-नबवी पहुँच जाएँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके दोनों साथियों की कब्रों की ज़ियारत कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आपके दोनों साथियों की कब्रों की यह ज़ियारत मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के अंतर्गत आ जाएगी।

- ज़ियारत करने वाला जब मस्जिद-ए-नबवी पहुँचे, तो उसके लिए मुस्तहब यह है कि मस्जिद में प्रवेश करते समय पहले दाहिना पाँव अंदर रखे तथा अन्य मस्जिदों में प्रवेश करने ही की भाँति यह दुआ पढ़े : "ऐ अल्लाह! मेरे लिए अपनी रहमत के द्वार खोल दे।"

- मस्जिद-ए-नबवी में दाख़िल होने के लिए अलग से कोई विशेष दुआ नहीं है।

- फिर तहीयतुल मस्जिद (मस्जिद में प्रवेश) की दो रकातें पढ़े।

- अगर समय ऐसा न हो कि उसमें नमाज़ पढ़ना मना हो, तो दो-दो रकात करके जितनी चाहे नफ़ल पढ़ सकता है। **अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :**

(صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)

"मेरी इस मस्जिद में पढ़ी गई एक नमाज़ मस्जिद-ए-हराम को छोड़ अन्य मस्जिदों में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है।" (सहीह बुख़ारी : 1190 एवं सहीह मुस्लिम : 1394)

किसी अन्य व्यक्ति की क़ब्र की ज़ियारत जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्र की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की है। इस मनाही का कारण यह है कि औरतों से क़ब्रों के पास रोने-धोने एवं बेपर्दगी का इज़हार करने जैसे शरीयत विरोधी कार्य होने की प्रबल संभावना है। उनके लिए मुसतहब यह है कि आपकी मस्जिद के अंदर तथा अन्य स्थानों में आप पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम भेजते रहें। वो जहाँ भी रहें, उनका दरूद व सलाम आप तक पहुँच जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है :

(لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ)

"अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ और न मेरी क़ब्र को मेला स्थल बनाओ। हाँ, मुझपर दरूद भेजते रहो, क्योंकि तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा दरूद मुझे पहुँच जाएगा।" आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक और अवसर पर फ़रमाया है :

(إِنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين فى الأرضِ يُبَلِّغونى مِن أُمَّتِي السَّلامَ).

"अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते हैं, जो धरती में घूमते फिरते हैं, वे मुझे मेरी उम्मत का सलाम पहुँचाते हैं।"

प्रयास यह रहे कि हो सके तो रौज़ा -अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिंबर तथा घर के बीच का भाग- के अंदर नमाज़ पढ़ ले। **अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :**

(مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)

"मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच का भाग जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।" (सहीह बुख़ारी : ١١٩٠ एवं सहीह मुस्लिम : ١٣٩٠) अगर वहाँ नमाज़ आसानी से पढ़ी न जा सके, तो मस्जिद में कहीं भी पढ़ ले। लेकिन यहाँ बात जमात वाली नमाज़ को छोड़ अन्य नमाज़ों की हो रही है। जमात वाली नमाज़ों में इमाम के ठीक पीछे स्थित पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करे। इस संबंध में आने वाले सामान्य प्रमाणों से.यही सिद्ध होता है।

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा आपके दोनों साथियों की क़ब्रों की ज़ियारत का इरादा करे,

और इन शब्दों में आपको सलाम करे : (ऐ अल्लाह के रसूल! आपपर अल्लाह की ओर से शांति, दया एवं बरकतें अवतरित हों।) अगर यह शब्द कहे, तब भी कोई हर्ज नहीं है : "मैं गवाही देता हूँ कि आप वास्तव में अल्लाह के रसूल हैं, और आपने संदेश पहुँचा दिया, और अमानत अदा कर दी, और अल्लाह के रास्ते में पूरी कोशिश की, और उम्मत को नसीहत की, तो अल्लाह आपको आपकी उम्मत की ओर से सबसे अच्छा बदला दे जो उसने किसी नबी को उसकी उम्मत की ओर से दिया।"

फिर थोड़ा दाएँ हटकर खड़ा हो और अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अनहु को सलाम करे।

फिर थोड़ा और दाएँ हटकर खड़ा हो और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अनहु को सलाम करे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अनहुमा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके दोनों साथियों को सलाम करते, तो आम तौर पर इससे अधिक कुछ न कहते : "हे अल्लाह के रसूल, आप पर शांति हो। हे अबू बक्र, आप पर शांति हो। हे मेरे पिता, आप पर शांति हो।" इतना कहने के बाद वापस चले जाते।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके दोनों साथियों की क़ब्रों के पास देर तक खड़े रहना और वहाँ दुआ करना उचित नहीं है। इमाम मालिक ने इसे नापसंद करते हुए कहा है कि यह एक बिदअत है, **जिसे सलफ़ यानी सहाबा ने नहीं किया है, और इस उम्मत के बाद के दौर के लोगों का सुधार केवल उन्हीं चीज़ों द्वारा हो सकता है, जिनसे इसके पहले दौर के लोगों का सुधार हुआ था।**

यहाँ यह याद रहे कि कुछ ज़ियारत करने वालों का आपकी क़ब्र के पास आवाज़ ऊँची करना, और देर तक खड़ा रहना शरीयत के विरुद्ध है। उच्च एवं महान अल्लाह ने कहा है :

(يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी आवाज़, नबी की आवाज़ से ऊँची न करो और न आपसे ऊँची आवाज़ में बात करो, जैसे एक-दूसरे से ऊँची आवाज़ में बात करते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाएँ और तुम्हें पता (भी) न हो। निस्संदेह, जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, वही लोग हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जाँच लिया है। उन्हीं के लिए क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।" [सूरा अल-हुजुरात : 3-2]

दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास लंबे समय तक खड़ा रहना और बार-बार सलाम करना, भीड़-भाड़ तथा शोर-शराबे का कारण बनता है, जो इन आयतों में मुसलमानों को दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का सम्मान जीवन काल में भी ज़रूरी था और मृत्यु के बाद भी ज़रूरी है। अतः एक मोमिन को आपकी क़ब्र के पास ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो शरई शिष्टाचार के विरुद्ध हो।

इसी तरह कुछ ज़ियारत करने वालों का आपकी क़ब्र के पास क़ब्र की ओर मुँह करके हाथ उठाकर दुआ करना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तथा सलफ़ यानी सहाबा और उनका सही अनुसरण करने वालों के तरीक़े के विपरीत एवं दीन के नाम पर किया जाने वाला एक नया काम है।

इसी तरह कुछ ज़ियारत करने वालों के द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय दाहिने हाथ को बाएँ हाथ पर रखकर सीने पर या उसके नीचे नमाज़ पढ़ने वाले की तरह रखने का जो तरीक़ा अपनाया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय उसे अपनाना जायज़ नहीं है। क्योंकि यह तरीक़ा एक प्रकार से आत्मसमर्पण, विनम्रता एवं उपासना का प्रतीक है, जो केवल अल्लाह के लिए अपनाना ही उचित है, जैसा कि हाफ़िज़ इब्न-ए-हजर ने "फ़त्ह अल-बारी" में उलेमा के हवाले से लिखा है।

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

आपके कमरे को नेकी का काम समझकर स्पर्ष करना या उसका तवाफ़ जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़रूरत पूरी करने या रोगी को शिफ़ा देने की दुआ करना आदि भी जायज़ नहीं है। क्योंकि यह चीज़ें केवल अल्लाह से माँगी जाएँगी।

- मदीने की ज़ियारत करने वाले के लिए वहाँ रुकने के दौरान क़ुबा मस्जिद की ज़ियारत करना और वहाँ नमाज़ पढ़ना मुसतहब है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वहाँ सवार होकर और पैदल जाया करते और दो रकात नमाज़ पढ़ा करते थे। सह्ल बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अनहु का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :

(مَن تطَهَّرَ في بيتِهِ ثمَّ أتى مسجدَ قباءٍ ، فصلَّى فيهِ صلاةً ، كانَ لهُ كأجرِ عمرةٍ)

"जो अपने घर में वज़ू करे, फिर मस्जिद-ए-क़ुबा जाए और वहाँ नमाज़ पढ़े, तो उसे उमरा के बराबर सवाब मिलेगा।"

पुरुषों के लिए मदीने के क़ब्रिस्तान बक़ी की क़ब्रों, शहीदों की क़ब्रों और हमज़ा रज़ियल्लाहु अनहु की क़ब्र की ज़ियारत करना सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी ज़ियारत करते और उनके लिए दुआ किया करते थे। साथ ही आपका फ़रमान है :

(كنتُ نهيتُكم عن زيارةِ القبورِ، ألَا فزُورُوها؛ فإنَّها تُرِقُّ القلبَ، وتُدمِعُ العينَ، وتُذَكِّرُ الآخِرةَ)

“मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। लेकिन अब तुम उनकी ज़ियारत करो, क्योंकि क़ब्रों की ज़ियार आख़िरत की याद दिलाती है।” अन्य क़ब्रों की ज़ियारत की तरह उनकी ज़ियारत करते समय भी यह दुआ पढ़ी जाए : ”ऐ इस स्थान के रहने वाले मोमिनो और मुसलमानो! अल्लाह तुमपर शांति की जलधारा बरसाए और हम भी इन शा अल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं। अल्लाह हममें से आगे जाने वालों और पीछे आने वालों पर दया करे। मैं अल्लाह से हमारे तथा तुम्हारे लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ।”

इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि क़ब्रों की ज़ियारत का उद्देश्य आख़िरत को याद करना और क़ब्रों में दफ़न लोगों के लिए दुआ करना है। **यही शरीयत सम्मत ज़ियारत है।**

रही बात क़ब्रों के पास दुआ करने या क़ब्रों में दफ़न लोगों अथवा उनकी प्रतिष्ठा का वास्ता देकर अल्लाह से कुछ माँगने के उद्देश्य से क़ब्रों की ज़ियारत करने की, तो यह ग़ैर-शरई ज़ियारत है, जिसकी शिक्षा न अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है और जिसे सलफ़ ने किया है। फिर, इससे दो क़दम आगे बढ़कर अगर क़ब्रों में दफ़न लोगों से ज़रूरतें माँगी गईं और रोगियों को शिफ़ा देने का आग्रह किया गया, तो यह सबसे बड़े शिर्क में दाख़िल है।

अब मैं अपने पाठकों के समक्ष ज़ियारत से संबंधित कुछ मनगढ़त हदीसें रख देना चाहता हूँ, ताकि उनसे अवगत हो जाएं और किसी धोखे में न पड़ें :

- पहली : "जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मेरी उपेक्षा की।"
- दूसरी : "जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, मानो उसने मेरे जीवन में मेरी ज़ियारत की हो।"
- तीसरी : "जो एक ही साल में मेरी (क़ब्र) और मेरे पिता इब्राहीम की (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मैंने अल्लाह से जन्नत की गारंटी ली है।"
- चौथी : "जो मेरी (क़ब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मेरी सिफ़ारिश अनिवार्य हो जाती है।"

यह हदीसें तथा इन जैसी अन्य हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बिलकुल साबित नहीं हैं। हाफ़िज़ अल-उक़ैली कहते हैं : इस विषय की कोई भी हदीस सहीह नहीं है। जबकि हाफ़िज़ इब्न-ए-हजर (अल-तलख़ीस) में - इस तरह की अधिकांश रिवायतों का ज़िक्र करने के बाद- कहते हैं : इस हदीस की सारी वर्णन शृंखलाएँ दुर्बल हैं। हज या उमरा की सुन्नतों में मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत दाख़िल नहीं है। न हज तथा उमरा से पहले और न हज तथा उमरा के बाद। क्योंकि मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत एक अलग मुसतहब काम है। अतः अगर जह या उमरा करने वाले ने इसकी ज़ियारत नहीं की, तो उसे कोई गुनाह नहीं होगा। हज या उमरा तथा मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के बीच कोई संबंध नहीं है। ये सब अलग-अलग इबादतें हैं। हज या उमरा करते समय मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत ज़रूरी नहीं है। मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत करने वाले पर भी हज व उमरा लाज़िम नहीं है। किसी ने एक ही सफ़र में तीनों काम कर लिए, तब भी कोई हर्ज नहीं है।

मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत के समय किए जाने वाले कुछ शरीयत विरोधी कार्य

- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करते समय दीवारों और लोहे की सलाखों को छूना और बरकत प्राप्त करने के लिए खिड़कियों में धागा आदि बाँधना।

  दरअसल बरकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बताई हुई चीज़ों में होती है। दीन के नाम से सामने आने वाली नई चींजों में नहीं।

- उहुद पहाड़ के ग़ारों और इसी तरह मक्का में ग़ार-ए-हिरा एवं ग़ार-ए-सौर में जाना, वहाँ कपड़े बाँधना, ऐसी दुआएँ करना जिनकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है और इसके लिए कष्ट उठाना।

ये सारे कार्य बिदअत एवं निराधार हैं।

- कुछ ऐसे स्थानों की ज़ियारत करना जिनके बारे में लोग समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से उनका कोई संबंध है। जैसे ऊँटनी के बैठने का स्थान, अल-ख़ातम कुआँ अथवा उसमान कुआँ। फिर बरकत के लिए वहाँ की मिट्टी ले लेना।

- बक़ी क़ब्रिस्तान की क़ब्रों और उहुद युद्ध के शहीदों की क़ब्रों की ज़ियारत के समय उनके अंदर दफ़न लोगों को पुकारना और उनकी निकटता प्राप्त करने या उनसे बरकत लेने के लिए नोट फेंकना।

ये कुछ बड़ी-बड़ी ग़लतियाँ हैं। बल्कि इस्लामी विद्वानों की नज़र में ये महा शिर्क में दाख़िल हैं और क़ुरआन एवं हदीस से भी यही प्रमाणित होता है। क्योंकि इबादत बस एकमात्र अल्लाह की होनी चाहिए। कण भर भी इबादत किसी और के लिए जायज़ नहीं है। उच्च एवं महान अल्लाह का फ़रमान है :

(وَمَـا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)

"हालाँकि उन्हें केवल यही आदेश दिया गया था कि वे अल्लाह के लिए धर्म को विशुद्ध करते हुए, एकाग्र होकर, उसकी इबादत करें।"

[सूरा अल-बैयिनह : 5]

दरूद व सलाम हो हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, तथा आपके परिवार और तमाम साथियों पर।

تعرف على الإسلام

بأكثر من 100 لغة

موسوعة القرآن الكريم
QuranEnc.com

ترجمات متقنة لمعاني القرآن الكريم بأكثر من (75) لغة

بيان الإسلام
byenah.com

مواد منتقاة للتعريف بالإسلام وتعليمه بأكثر من (120) لغة

موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com

ترجمات متقنة للأحاديث النبوية وشروحها بأكثر من (60) لغة

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

مواد منتقاة للحجـــاج والمعتمرين و الزوار بلغات العالم

جامع المحتوى الإسلامي باللغات
islamcontent.com

مواد إسلامية متنوعة وشاملة بأكثر من (125) لغة

موسوعات وخدمات إسلامية باللغات
s.islamenc.com

للمزيد
من المواقع الإسلامية
بلغـــــات العـــالم

ضيوف الرحمن
hajjumrh.com

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات